

न्यायसंगत आचरण संहिता

उद्देश्य:

यह निष्पक्ष व्यवहार संहिता यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है और इसका पालन किया गया है कि मेसर्स साई रोशनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसआरसीपीएल) के ग्राहकों के साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जाए और कंपनी के किसी भी उत्पाद या सेवा की पेशकश का लाभ उठाने से पहले उन्हें कंपनी के सभी नियमों और शर्तों के बारे में पता हो।

ऋण के लिए आवेदन और उनकी प्रक्रिया:

ऋण की प्रक्रिया के लिए आवेदन में प्रस्तावित ऋण के संबंध में सभी बुनियादी जानकारी और प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज शामिल होंगे। इसके अलावा, एक बार जब ग्राहक से ऋण अनुरोध प्राप्त हो जाता है, तो आवेदनों का पूरा सेट ग्राहक को प्रदान किया जाएगा ताकि वह आसानी से अन्य गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा की जाने वाली पेशकशों से इसकी तुलना कर सके ताकि वह अन्य एनबीएफसी की पेशकशों के साथ पूरी तरह से तुलना करने के बाद अधिक सूचित निर्णय ले सके।

सभी ऋण आवेदनों की पावती का समय पर जवाब दिया जाएगा, और ऋण आवेदन की निपटान तिथि का संकेत दिया जाएगा।

ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें:

मेसर्स साई रोशनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसआरसीपीएल) उधारकर्ता को नियम और शर्तें तथा स्वीकृत ऋण की राशि के बारे में बताएगा, साथ ही अन्य मुख्य कारक जैसे वार्षिक ब्याज दर, गणना की विधि और संपार्श्विक आवश्यकता का प्रकार, रखरखाव मार्जिन और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य खंड भी बताएगा।

दंडात्मक ब्याज या किसी अन्य शुल्क से संबंधित शर्तों का उल्लेख ऋण समझौते में किया जाएगा।

ऋण समझौते और नियम/शर्तों की एक प्रति ग्राहक को प्रदान/भेजी जाएगी।

नियम और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋण का वितरण:

मेसर्स साई रोशनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसआरसीपीएल) ऋण की नियम और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन उधारकर्ता को पूर्व सूचना देने के बाद ही।

ऋण शर्तों में परिवर्तन केवल भावी रूप से लागू होंगे और पूर्वव्यापी नहीं होंगे।

कंपनी उधारकर्ता की सभी संपार्श्विक राशि को कंपनी के सभी बकाया चुकाने के बाद ही जारी करेगी। ऋण राशि का भुगतान हो जाने के बाद ग्राहक की संपार्श्विक राशि समय पर जारी कर दी जाएगी। ऋण पर अंकित अन्य वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार ऋणकर्ता को पूर्व सूचना देकर ऋण के विरुद्ध सेट ऑफ कर दिए जाते हैं।



सामान्य:

मैसर्स साई रोशनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसआरसीपीएल) ऋण समझौते की शर्तों और नियमों में दिए गए उद्देश्यों को छोड़कर ऋणकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा, जब तक कि ऋणकर्ता द्वारा पहले से प्रकट न की गई कोई नई जानकारी एसआरसीपीएल के संज्ञान में न आ जाए।

ऋणकर्ता से ऋणकर्ता खाते के हस्तांतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, ऋणकर्ता को अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर सहमति या अन्यथा यानी एसआरसीपीएल की आपत्ति, यदि कोई हो, बताई जानी चाहिए। ऐसा हस्तांतरण कानून के अनुरूप पारदर्शी संविदात्मक शर्तों के अनुसार होगा।

कंपनी अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी। लगातार अजीब समय पर उधारकर्ताओं को परेशान करना, ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग करना आदि। और डीलिंग कर्मियों को ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

शिकायत निवारण तंत्र:

ग्राहक सेवा व्यवसाय के विकास का एक अभिन्न अंग है और इसलिए SRCPL सभी शिकायतों/शिकायतों को त्वरित तरीके से संबोधित करेगा।

SRCPL ने संगठन के भीतर संचालन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किए हैं और समय-समय पर प्रबंधन रिपोर्ट तैयार की जाती हैं और उनका समाधान किया जाता है।

शिकायतों की स्थिति की निगरानी और समीक्षा तथा निवारण तंत्र की स्थिति और कार्यप्रणाली का सत्यापन लगातार अंतराल पर किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। निदेशक मंडल निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन की भी समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो संशोधन करेगा।

कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय/शाखा परिसर में शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण जैसे नाम और संपर्क विवरण, टेलीफोन, मोबाइल और ईमेल पता भी प्रदर्शित करेगी।

यदि शिकायत का निवारण एक महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ग्राहक RBI के DNBS के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

अत्यधिक ब्याज वसूले जाने का विनियमन:

कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्क निर्धारित करने में उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं, जिनका उधारकर्ता या ग्राहक को आवेदन पत्र में खुलासा किया जाएगा और स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।



कंपनी ने एक ब्याज दर मॉडल अपनाया है जो फंड की लागत, मार्जिन, जोखिम प्रीमियम, सामाजिक कारकों आदि को ध्यान में रखता है और ऋण और अग्रिम के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है।

उस विशेष ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज दर अलग-अलग होगी।

उधारकर्ता किस श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से बताई जाएगी।

ब्याज दर अलग-अलग होगी वार्षिक आधार पर भी ताकि उधारकर्ता को उस दर के बारे में ठीक से पता हो जो उससे ली जाएगी।

प्रत्येक श्रेणी के ग्राहकों से ली जाने वाली ब्याज दर और ब्याज दर की गणना करने की विधि सुलभ बनाई जाएगी और जब भी नीति या ब्याज दर में कोई बदलाव होगा, उसे अपडेट किया जाएगा।

एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित वाहनों का पुनः कब्ज़ा:

कंपनी के अनुबंध/ऋण समझौते में एक अंतर्निहित पुनः कब्ज़ा खंड है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। ग्राहक को यह स्पष्ट करने के लिए ऋण समझौते में निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया जाता है

- कब्ज़ा लेने से पहले नोटिस अवधि
- ऐसी परिस्थितियाँ जिनके तहत नोटिस अवधि को माफ किया जा सकता है
- सुरक्षा का कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया
- संपत्ति की बिक्री/नीलामी से पहले ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ता को दिए जाने वाले अंतिम अवसर के बारे में प्रावधान उधारकर्ता को पुनः
- कब्ज़ा देने की प्रक्रिया
- संपत्ति की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया।



संदर्भ:

यह निष्पक्ष व्यवहार संहिता आरबीआई परिपत्र संख्या 2012-13/416/डीएनबीएस.सीसी.पीडी संख्या 320/03.10.01/2012-13 दिनांक 18 फरवरी 2013 के अनुसार निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रारूपण में संदर्भ के रूप में लिखी गई है। ऊपर उल्लिखित निष्पक्ष व्यवहार संहिता आरबीआई के उक्त परिपत्र के अनुरूप है और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशा-निर्देशों के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। यह निष्पक्ष व्यवहार संहिता केवल न्यूनतम निष्पक्ष व्यवहार मानकों को निर्धारित करती है जिनका कंपनी को ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय पालन करना चाहिए और यह संपूर्ण नहीं है। यह निष्पक्ष व्यवहार संहिता नीति कंपनी के सभी ग्राहकों पर लागू होती है।

For Sai Roshni Capital Private Limited

Rohith A Loka Reddy

Rohith Loka Reddy
Managing Director
DIN: 06464331

